ADYAKSH, RAJKIYA MAHAVIDHYALYA VIKAS SAMITI
Government P. G. College, Baran
E-mail: principalgcbaran@gmail.com, gc.baran@rajasthan.gov.in
Phone No. 07453-230072,294608

BIDDING DOCUMENT
(NIT No.....01 /2024-2025.....)

मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

(प्रपत्र शुल्क 500 रूपये)

Date of Bid Download	: 28.06.2024 to 08.07.2024 (05-00 pm)
Date of Bid upload	: Upto 08.07.2024 (05-00 pm)
Date of Receipt of DD/Challan etc. in office	: Upto 08.07.2024 Time 05-00 pm
Date & Time of Opening Technical Bid	: 09.07.2024 Time 11-00 Am
Date & Time of Opening Financial Bid	: After Evualation of Tecnical Bid

E-mail: principalgcbaran@gmail.com
gc.baran@rajasthan.gov.in
Phone No. 07453-230071,72

ADYAKSH, RAJKIYA MAHAVIDHYALYA VIKAS SAMITI
Government P. G. College, Baran

क्रमांक : 725 दिनांक : 27/6/24

ई–बिड सूचना सं. 01/2021–22

कार्यालय अध्यक्ष एवं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय विकास समिति राजकीय महाविद्यालय बारॉ द्वारा मानव संसाधन आपूर्ति (उच्च कुशल, कुशल, अकुशल कर्मचारी) हेतु प्रतिष्ठित सद्भावी सेवा प्रदाता एजेंसी/पंजीकृत फर्मों से दर संविदा हेतु ऑनलाईन बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। **विवरण निम्न प्रकार है :–**

1.	**कार्यालय का नाम**	अध्यक्ष एवं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय विकास समिति राजकीय महाविद्यालय बारां
2.	**कार्य**	मानव संसाधन आपूर्ति (उच्च कुशल, कुशल, अकुशल कर्मचारी)
3	**अनुमानित राशि**	15.00 लाख रूपये
4	**बोली प्रपत्र शुल्क**	राशि रू.500/–रूपये का डी0डी0/बैंकर्स चैक, **अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, बारां** के पक्ष में देय
5	**आर.आई.एस.एल. शुल्क**	राशि रू0 500/–रूपये का डी0डी0 जो "MD, RISL, Jaipur" के नाम देय हो भी प्रस्तुत करना होगा।
6	**बिड के साथ संलग्न बोली प्रतिभूति राशि**	रू. 30000/– डी0डी0/बैंकर्स चैक, **अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, बारां** के पक्ष में देय
7	**बिड आवेदन डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय**	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 08.07.2024 सायं 5.00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं।
8	**बिड आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय**	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र ऑनलाईन **eproc.rajasthan.gov.in** पोर्टल पर दिनांक 08.07.2024 को सायं 5.00 बजे तक अपलोड करा सकते हैं।
9	**भौतिक रूप से बोली/निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का मूल डीडी/बैंकर्स चेक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय**	दिनांक 08.07.2024 सांय 5.00 बजे तक राजकीय महाविद्यालय बारां में जमा कराना अनिवार्य होगा
10	**तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय**	दिनांक 09.07.2024 प्रात 11.00 बजे।
11	**बोली खोलने का स्थान**	राजकीय महाविद्यालय बारां

1. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव **eproc.rajasthan.gov.in** पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करना है। नियत अंतिम तिथि तक बोली/निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू 500, बोली/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क राशि रू 500, एवं बोली प्रतिभूति राशि रू 30000 का डीडी/बैंकर्स चेक भौतिक रूप से दिनांक 08.07.2024 साय 05 बजे तक राजकीय महाविद्यालय बारां में मूल **(Original)** जमा कराने होंगे। तथा ऑनलाईन फॉर्म के साथ इन्हें स्केन किया जाकर अपलोड भी किया जाना है। नियत समय तक उक्त शुल्कों से सम्बन्धित बैंकर्स चैक/डी0डी0/चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तकनीकी बिड निरस्त कर दी जावेगी।

2. निर्धारित समय तक अपलोड बोली दिनांक 09.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष आनलाईन खोली जावेगी। दर प्रस्ताव **निर्धारित BOQ में ऑनलाईन भरी जानी हैं।**
3. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा समय–समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देश के समस्त सम्यक् प्रावधान इस बोली आमंत्रण पर लागू होगे। इस डॉक्यूमेंट व उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेगें।
4. समस्त प्रकार के देय डीडी/बैंकर चैक निविदा दाता की फर्म/प्रोपराइटर के माध्यम से बनाये गये ही स्वीकार योग्य होंगे एवं निविदा जारी होने की दिनांक के बाद के ही मान्य होंगे।
5. उक्त ई–बोली आमंत्रण सूचना व बिड प्रपत्र का पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अवलोकन किया जा सकता है व डाउनलोड भी किया जा सकती है।
6. किसी भी तकनीकी/अन्य कारण यथा हेवी ट्रेफिक लोड से वेबसाइट अवरूद्व होने अथवा इसकी स्लो स्पीड के कारणनिर्धारित आखिरी दिनांक एवं समय पर ऑनलाइन निविदा सबमिट करने में असफलता/देरी के लिये यह विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आखिरी दिनांक एवं समय पर हो सकने वाली किसी भी समस्या से बचने के लिये निविदादाता निर्धारित आखिरी दिनांक एवं समय से पूर्व निविदा सबमिट करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित कर लेवें।
7. जो बोलीदाता ई–बोली (e-Tender) में भाग लेना चाहते है, सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.inपर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट (Type III)लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित Certificate Certifying Authority (CCA)से डिजीटल सर्टिफिकेट क्रय कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट क्रय करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष
राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, बारां

ADYAKSH, RAJKIYA MAHAVIDHYALYA VIKAS SAMITI
Government P. G. College, Baran
ई–बोली तकनीकी प्रपत्र

01. निविदा सन्दर्भः–निविदा सूचना संख्या– 01/2024–2025

02. निविदा की विषय वस्तु– मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा।

03. निविदादाता का नाम– .....

04. निविदादाता का पता–.....

.....

.....

मोबाईल न0/फोन न0.....

05. आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार संलग्न है–

(अ) जमा शुल्क

1. निविदा शुल्क DD No..... Date ..... राशि.....रूपये

2. प्रोसेसिग शुल्क DD No..... Date ..... राशि .....रूपये

3. बोली प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) DD No..... Date .....राशि ..... रूपये

(ब) प्रमाण पत्र आदि–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक	प्रमाण संलग्न है या नहीं
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970					
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952					
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)					
5.	आयकर (पैन नं.)					
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत					
7	Bid Document fees (DD/Banker Cheque)					
8	Processing fees (DD/Banker Cheque)					
9	Bid document (All page of Bid document signed by Bidder)					
10	Bid Security Amount (DD/Banker Cheque)					
11	Annexure-A **Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest**					
12	Annexure-B Declaration by bidder regarding qualification)					
13	Annexure-C (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)					

14	Annexure D : Additional Conditions of Contract		
15	अनुभव अवधि (न्यूनतम एक वर्ष) Annexure-E		
16	गत दो वर्ष(2021–22, 2022–23) का वार्षिक टर्नओवर प्रमाण–पत्र (सनदी लेखाकार से प्रमाणित)		
17	गत दो वर्ष के आयकर विभाग में दाखिल आयकर विवरणियां		

नोट–निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा की चेक लिस्ट अनुसार क0स0 1 से 17 तक के दस्तावेज संलग्न किये जावे।

बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील

ADYAKSH, RAJKIYA MAHAVIDHYALYA VIKAS SAMITI
Government P. G. College, Baran
E-mail: principalgcbaran@gmail.com, principalgcbaran@yahoo.com
Phone No. 07453-230071,72

–: निविदा की शर्तें :–

1. यह निविदा मानव संसाधन आपूर्ति हेतु ई–टेण्डरिग प्रकिया सें की गई है जिसमे निविदा की द्विभाग प्रणाली अपनाई गई है यथा तकनीकी बिड एवं वितिय बिड आंमत्रित की गई है जिसमे तकनिकी बिड मे सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाता को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय बोली (BOQ में) पृथक–2 ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऑनलाईन तकनीकी बोली में चैक लिस्ट के अनुसार हस्ताक्षरशुदा समस्त दस्तावेज स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक है जिसके अभाव में तकनीकी बोली निरस्त कर दी जायेगी। सफल तकनीकी बोली की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
4. वित्तीय बोली :– बोलीदाता को निर्धारित BOQ मे सेवा प्रदाय करने की एवज में लिये जाने वाले सेवा चार्ज की दरें भरकर ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
5. वित्तीय निविदा प्रपत्र मे निविदादाता को अपनी सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) की दर राशि रू. प्रति कार्मिक अंकित करनी होगी। ऋणात्मक/शून्य/नगण्य सर्विस चार्ज वाली निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
6. सर्व प्रथम तकनीकी बोली खोली जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
7. बोली प्रपत्र एवं शर्तें राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in अथवा http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है जिसके बोली शुल्क राशि 500/– का डीडी/बैकर चैक जो **अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, बारां** के नाम देय होगा बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
8. तकनीकी व वित्तीय बोली दस्तावेज बोली सूचना मे वर्णित (बोली प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड व अपलोड करने की अंतिम तिथी व समय) दिनांक व समय तक ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। निश्चित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त बोली ऑनलाईन नहीं की जा सकेगी।
9. बोली के लिए बोली सूचना मे वर्णित बोली दस्तावेज शुल्क राशि 500 रुपये, बोली प्रतिभूति राशि रू. 30000 के डीडी/बैंकर्स चैक (**अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, बारां** के नाम देय Payable at Baran होगा) तथा बोली प्रोसेसिंग फीस राशि 500/- का डीडी/बैंकर्स चैक (M.D. RISL Jaipur के नाम देय जो Payable at Jaipur होगा) बोली सूचना मे वर्णित (डीडी जमा कराने की अंतिम तिथी व समय) दिनांक व समय तक इस कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक है। निश्चित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त डीडी/बैंकर्स चैक की बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. बोली के लिए निर्धारित बोली दस्तावेज शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा बोली प्रोसेसिंग फीस राशि का डीडी/बैंकर्स चैक के बिना प्राप्त बोलीयों पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. प्राप्त ऑनलाईन ई–बोली की तकनीकी बोली, बोली सूचना मे वर्णित दिनांक व समय पर क्रय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
12. बोली शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति मे लौटाया नही जायेगा।

13. **बोली प्रतिभूति** : बोली के साथ, बोली सूचना अनुसार 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि **अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, बारां** के पक्ष शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जा सकती हैं।
    1– **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** :– असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी।
    2– **बोली प्रतिभूति से छूट** :– सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा आर.टी.पी.पी. रूल्स में निर्धारित प्रावधान अनुसार छूट देय होगी।
    3– केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।
    4– अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोली को पुनः आमंत्रित किया जाता हैं तो इस राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

14. सफल बोलीदाता को ही 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी, एवं निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. संविदा अवधि– **मानव संसाधन आपूर्ति हेतु इस संविदा की अवधि एक वर्ष होगी जिसमें पारिस्परिक सहमति से नियमानुसार अभिवृद्धि की जा सकेगी।**

16. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार आयकर व जी.एस.टी. टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।

17. फर्म का जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। बोली के साथ माल एवं सेवाकर रजिस्ट्रेशन (GST) प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी PAN की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

18. बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

19. तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित करनी होगी।

20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

21. तकनिकी बिड–निविदादाता को अपनी तकनीकि बिड में निम्नलिखित वैध एवं सत्यापित दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क के डी डी स्केन कर ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। निम्नांकित तकनीकि बिड में पात्रता पूर्ण नहीं करने पर तकनीकी बिड मे असफल माना जावेगा तथा तकनीकि बिड में असफल निविदादाता की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी।

S. No.	Particulars
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में पंजीयन प्रमाण पत्र
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में पंजीयन प्रमाण पत्र
3	कर्मवारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में पंजीयन प्रमाण पत्र
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीयन प्रमाण पत्र
5	आयकर (पैन नं.) में पंजीयन प्रमाण पत्र

6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति पत्र
7	Bid Security (DD/Banker Cheque)
8	Tender Price (DD/Banker Cheque)
9	Processing fees (DD/Banker Cheque)
10	Bid document (All page of Bid document signed by Bidder)
11	Annexure-A **Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest**
12	Annexure-B Declaration by bidder regarding qualification)
13	Annexure-C (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)
14	Annexure D : Additional Conditions of Contract
15	अनुभव अवधि (न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है) Annexure-E
16	गत दो वर्ष (2021–22, 2022–23) का वार्षिक टर्नओवर विवरण (औसत न्यूनतम 15.00 लाख रू.का आवश्यक है)
17	*गत दो* वर्ष (2021–22, 2022–23) के आयकर विभाग में दाखिल आयकर विवरणियां की प्रति आवश्यक है

22. निविदा से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र तकनीकी निविदा के साथ ही प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है। वित्तीय बिड के साथ कोई प्रपत्र संलग्न नहीं किया जाना है।

23. **अनुभव प्रमाण पत्र–निविदादाता को राजकीय कार्यालयों/विभागों या राजकीय नियंत्रणाधीन संस्थानों में मानव संसाधन आपूर्ति करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। अनुभव के प्रमाण स्वरूप ऐसे संस्थानों द्वारा मानव संसाधन आपूर्ति अनुभव के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। मानव संसाधन आपूर्ति हेतु संस्थान द्वारा जारी कार्यादेश को अनुभव का आधार नहीं माना जावेगा।**

24. निविदादाता फर्म/संस्था को गत दो वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23) के वार्षिक टर्न ओवर का विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसके सम्बन्ध मे सनदी लेखाकार (चार्टेड अकाउन्टेन्ट) द्वारा प्रमाणित (ऑडिटेड) प्रमाण पत्र ही मान्य होंगें। गत दो वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23) के वार्षिक टर्न ओवर का औसत न्यूनतम 15.00 लाख रू. होना आवश्यक है। निविदादाता फर्म/संस्था को गत दो वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23) में आयकर विभाग में प्रस्तुत आयकर विवरणियों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगा।

25- अनुमोदित संविदादाता द्वारा मानव संसाधन की आपूर्ति करने पर उपापन संस्था द्वारा मानव श्रम की एवज में संविदादाता को श्रम का निर्धारित मासिक पारिश्रमिक **EPF & ESI का नियोक्ता अंशदान , GST Tax** का भुगतान देय होगा तथा इसके अतिरिक्त उपापन संस्था द्वारा संवेदक को अनुमोदित सर्विस चार्ज का भुगतान किया जावेगा। सेवा प्रदाता संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिक के **EPF, ESI** के निजी अंशदान की कटौती सेवा प्रदाता के स्तर पर पारिश्रमिक से की जाकर सम्बन्धित मद में जमा की जावेगी।

26- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

27- संवेदक के पास आवश्यक संख्या में मानव संसाधन आपूर्ति करने की अनुज्ञा का होना आवश्यक है।

28- संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

29- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजूदरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

30- श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

31. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजूदरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

32- संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगा, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

33- राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

34- संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगा। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

35- श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

36- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

37- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

38- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

39. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनमत मजूदरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

40- उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

41. एकाधिक सफल फर्मो की निविदा न्यूनतम दरें समान होने पर यह निविदा कमेटी के सर्वाधिकार मे निहित होगा कि निविदा कमेटी निविदादाता के गत कार्य अनुभव अवधि के आधार पर किसी एक सफल निविदादाता का चयन कर सकेगी। अन्तिम निर्णय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय विकास समिति राजकीय महाविद्यालय बारां द्वारा किया जा सकेगा जो सभी को मान्य होगा।

42. जिस/जिन फर्मों की दरें अनुमोदित की जाती है, उसे/उन्हें दर अनुमोदन आदेश दिनांक से सात दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के नॉन–ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर पर संविदा शर्तों का अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा अपेक्षित संख्या में योग्य मानव संसाधन की सूची मय दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

43. निविदादाता द्वारा नियुक्त कार्मिको की सूची मे से कार्य पर लगाने के सम्बन्ध मे महाविद्यालय विकास समिति द्वारा निश्चय करने पर ही लगाया जा सकेगा। **राजकीय महाविद्यालय विकास समिति** द्वारा पात्र व्यक्तियो की योग्यता, अनुभव व कार्य व्यवहार का परिक्षण भी किया जा सकेगा।

44. सफल निविदादाता को कार्यआदेश के 30 दिन के अंदर ठेका श्रम अधिनियम, 1970 की धारा 12 (2) के अन्तर्गत श्रम विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करवानी होगी।

45. निविदादाता द्वारा फर्म के मालिक के अलावा अपने अधिकृत प्रतिनिधी का नाम व विवरण देना होगा वही व्यक्ति विभाग मे सम्पर्क करने के लिये अधिकृत होगा।

46. मानव संसाधन श्रेणी व मासिक पारिश्रमिक–

	श्रेणी	प्रति व्यक्ति प्रतिमाह देय पारिश्रमिक (फिक्स) *	कार्य
	2	3	4
	अकुशल कार्मिक	6734.00	सफाई कर्मचारी, बागवान, बुक लिफटर, चौकीदार, प्रयोगशाला परिचारक
	कुशल कार्मिक	7358.00	प्रयोगशाला सहायक
	उच्चकुशल कार्मिक	8658.00	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर, पुस्तकालयाध्यक्ष,
	उच्च कुशल (यूजीसी मापदण्ड अनुसार नेट/सेट उत्तीर्ण) एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	250/– प्रति कालांश अधिकतम रू0 25000/– प्रतिमाह	व्याख्याता हिन्दी एवं गणित

*** श्रम दर्शाई गई पारिश्रमिक दरें श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 8(5)(6)न्यु.म.अभि./ श्रम/आई.आर./ 2000/पार्ट/17593 दिनांक 28.06.2022 के अनुरूप है। जो राज्य सरकार के अनुसार प्रवर्तनीय है।**

47. पदों की सम्भावित संख्या एवं निर्धारित योग्यता का विवरण निम्नानुसार हैः–

	पद नाम	अनुमानित संख्या	न्यूनतम योग्यता का विवरण
	डाटा एन्टी/ कम्प्युटर आपरेटर	04	राज्य सरकार द्वारा विहित योग्यतानुसार कम से कम स्नातक पास एवं RSCIT प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर ओपरेटिग वं हिन्दी और अग्रेजी टाईपिग का ज्ञान (अनुभव को प्राथमिकता)
	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	Master of library science, Batchlor of library science
	व्याख्याता (हिन्दी/गणित)	02	As per UGC Norms Net/Slet and releated subject MA (Master Degree)
	बागवान	01	8वीं पास
	चौकीदार/सहायक कर्मचारी/	03	8 वी पास
	सफाई कर्मचारी	02	5 वी पास
	प्रयोगशाला परिचारक / बुक लिफटर	03	8 वी पास

48. पदों की संख्या घटाई/बढाई जा सकती है। पदो की संख्या मे वृद्वि या कमी की स्थिति मे संविदाकर्ता को आपूर्ति आदेशानुसार ही मेन पावर उपलब्ध कराना होगा।

49. उपलब्ध कराये गये श्रम कार्मिको की आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।

50. निरीक्षण के दौरान कार्मिक नशे की हालात मे मिलने अथवा अनुचित व्यवहार या आचरण करने पर निविदादाता जिम्मेदार होगा तथा संस्था को अविलम्ब उस कार्मिक को हटाकर नया कार्मिक उसी योग्यता का रखना/ नियुक्त करना होगा। कम भुगतान की शिकायत आने पर सक्षम आदेश होने पर संवेदक के बिलों से उक्त राशि की कटौती कर सम्बन्धित को भुगतान करते हुए संवेदक पर आर्थिक शास्ति आरोपण या/तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में करार–पत्र निष्पादन

नही करने व प्रतिभूति राशि जमा नही कराने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा

51. कार्मिक का कार्य के दौरान किसी दुर्घटना (प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण से) के कारण किसी भी होने वाली क्षति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। सफल निविदादाता से अपेक्षा की जाती है, की वह कार्मिक का बीमा करवा ले ।
52. संविदा को कभी भी बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति बारां की सक्षमता में निहित होगा ।
53. कर्मचारियो के हित–रक्षण हेतु अन्य विधिक एवं कानूनों की पालना की पूर्ण जिम्मेदारी संबधित संविदाकार की होगी तथा संविदाकार को राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी श्रम अधिनियमों, नियमों व अन्य सभी आदेशों, निर्देशा, नियमों की पालना करनी होगी।
54. सत्यापन के दौरान यदि यह पाया गया कि आपकी सेवायें/सुविधाएँ निविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार सन्तोषप्रद नही है अथवा संविदाकर्ता द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही है तो अनुबन्ध निरस्त कर जमानत/प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
55. निविदा या इसके किसी भी भाग को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति बारां/निविदा समिति का होगा। निविदा व अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के संबंध में व्याख्याता का पूर्ण अधिकारी निविदा समिति को होगा अर्थात् उसके द्वारा की गई व्याख्या दोनों पक्षों को मान्य होगी। किसी भी न्यूनतम दर को स्वीकार करना उपापन संस्था के लिये बाध्यकारी नहीं हैं। निविदादाता की कोई सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
56. निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है या समय रहते विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है , आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है या विहित समय के भीतर सप्लाई करने में असफल रहता है तो बयाना/प्रतिभूती राशि जब्त कर ली जायेगी ।
57. सफल निविदादाता को निर्धारित राशि के अलावा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
58. सेवाप्रदाता एजेंसी एवं कार्मिक के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसके निस्तारण की समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता एजेंसी की होगी। उपापन संस्था का इससे कोई सरोकार नहीं होगा ।
59. सफलतम निविदादाता को 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी जिसमें पूर्व मे जमा बोली प्रतिभूति (धरोहर राशि) राशि समायोजनीय होगी। संवेदक को रू0 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र कराना होगा जिसका व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा । प्रतिभूति राशि पर इस कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
60. शर्तों का उल्लंघन करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/राजस्थान लोक उपापन नियमों के तहत वसूली की जावेगी तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में वर्णित नियमों की पालना करनी होगी।
61. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन (वृद्धि) होती है और पूर्व में अनुमोदित दर संशोधित दर (संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर) से कम है तो दर संशोधन के गजट नोटिफिकेशन की दिनांक से अनुमोदित दर उस सीमा तक बढ़ा दी जावेगी ताकि जॉब बेसिस के श्रमिको को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी राशि का भुगतान किया जा सके।
62. आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इसे अनुबंध का खंडन माना जायेगा एवं अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय विकास समिति को धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
63. निर्देशानुसार कार्य पूर्ण न करने अथवा सतोषप्रद न करने पर राजकीय महाविद्यालय विकास समिति द्वारा वित्तीय शास्ति भी आरोपित किये जाने का अधिकार होगा। लगाये जाने वाले कार्मिको के सम्यक चरित्र व कार्य व्यवहार के सबंधं मे समस्त दायित्व संवेदक का होगा।
64. निविदा के निर्णय के संबंध में कोई शिकायत होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 83 व 84 के अनुसार निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील श्रीमान् वित्तीय सलाहकार महोदय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को तथा द्वित्तीय अपील श्रीमान् आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को नियमानुसार की जा सकेगी। निविदा निर्णय के संबंध में अपील केवल निविदा प्रकिया में भाग लेने वाले बोली दाताओं (निविदादाताओं) द्वारा ही की जा सकेगी।
65. **बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid security)**

बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात यदि

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित

करता है।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/ संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो, का निष्पादन नही करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) यदि बोली लगाने वाला प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करता है।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

66. **बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):-** बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया 90 दिन होगी।

67. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages)** :–

1.परिनिर्धारित क्षति के साथ कार्य अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर कार्य आपूर्ति के लिये की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(क) विहित कार्य अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि तक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10%

2.सेवा प्रदान करने में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा ।

3.परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

68. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नही करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले अधिक भुगतान, समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा।

69. निविदाकार के हर्जे – खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेना होगा। अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नही की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोक मॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

70. निविदाकार को देय भुगतान में से तत्समय निर्धारित प्रावधान अनुसार व निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा ।

71. निविदा की शर्तों, विधि के सुसंगत नियमों, उपनियमों एवं प्रावधानों इत्यादि का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। इनका पालन करना संवेदक का दायित्व होगा।

72. संविदादाता द्वारा संविदा शर्तो के अलावा सामान्य वित एवं लेखा नियम एव RTPP ACT एवं Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगी एवं राज्य सरकार प्रदत समय समय निर्देशो की पालना करनी होगी।

73. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने ,और बोली प्रकिया को रद्द करने और संविदा कि अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय ,समस्त बोलीयों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

74. Price fall clause- दर अनुबंध में दरे कीमते के खण्ड के अध्याधीन होगी यदि दर अनुबन्ध धारक दर अनुबन्ध चालू रहने के दौरान किसी समय राज्य में किसी को दर अनुबंध कीमत से कम कीमत पर सामान माल, संकर्म या सेवायें देने हेतु दर कोट/कम करता है तो उस दर अनुबंध के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर अनुबंध कीमत कम करने/कोट करने की दिनांक से स्वतः कम हो जायेगी ओर दर तद्नुसार संधोधित की जावेगी। समानान्तर दर अनुबंध धारण करने वाली फर्मो को

भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत करने का अवसर देतु हुए पुनरीक्षित कीमत से उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिवस का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर अनुबंध धारक फर्म दर अनुबंध के चालू करने के दौरान करने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की हुई कीमत अन्य सामान्तर दर अनुबंध धारक फर्मो एवं मूल अनुबंध धारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान करने के संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर अनुबंध फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती हो उससे आगे कोई संव्यवहार नहीं किया जावेगी।

75. **करार का निष्पादन (Execution of agreement)** :–

(1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

(2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने मे विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर नियमानुसार निर्धारित मूल्य के न्यायिकेतर (नॉन–ज्यूडिशियल) स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने पर एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

76. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity)**:– उपापन प्रकिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति

(1) उपापन प्रकिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रकिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिये या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो

(3) उपापन प्रकिया को पारदर्शिता एवं निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नही होगा।

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रकिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नही करेगा।

(5) उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नही होगा,

(6) उपापन प्रकिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा में बाधा नही डालेगा।

(7) हित का विरोध , यदि कोई हो, प्रकट करेगा

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

77. **हित का विरोध (Conflict of interest)**:–

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोधी ऐसी स्थिति को माना गया है। जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों संविदागत बाध्यताओं के पालना या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालना को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां संम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नही है यदि–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से कोई भी प्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है। जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उप संविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नही करता है। जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नही लेता है, या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्ही व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाईन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेगें कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्थाए जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन एवं विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये है। के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबंद्ध है और नही संबंद्ध रहा है या संविदा के लिए प्ररियोजना प्रबन्धकके रूप मे प्रस्तावित किया जा रहा है।

78. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः**– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाए किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा(3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित काप्रवाई कर सकेगी।

79. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय महाविद्यालय बारॉ का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

80. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बारां होगा।

उपरोक्त क्र.सं. 1 से 80 तक शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं ।

अध्यक्ष
राजकीय महाविद्यालय विकास समिति बारां

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का पूरा पता मय
टेलीफोन /मोबाईल नं. .....

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behaviou to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:

(g) Disclose conflict of interest, if any: and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limted to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ; or
c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or
e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date
Place

Signature and seal of Bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qulifications

Declaration by the Bidder

In relation to our Bid submitted to the District Election Officer, kota for supplying Prepared photo and photo with frame etc. in response to their Notice Inviting Bids No .....Dated..... we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.

3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5) I/We do not have a confect of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date
Place

Signature of Bidder
Name
Designation
Address

Signature and seal of Bidder

Appendix C: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

The designation and address of the first Appellate Authority is _____.

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.

(3) If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provision of confidentiality.

Signature and seal of Bidder

(5) From and procedure of filing an appeal

a. An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.

b. Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

a. Fee for fist appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b. The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeals

a.The Fist Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c. After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Date
Place

Signature of Bidder
Name
Designation
Address

Signature and seal of Bidder

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……..of……..

Before the …….. (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
   (I) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
   (I)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   (Supported by an affidavit)
7. Prayer……
   Place……
   Date……

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1.Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

(i). if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii). If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii). If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i). At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, as per RTPP Rules of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

(ii). If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.

(iii). In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured as Per RTPP Rules & Tender Conditions.

3.Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature and seal of Bidder

Annexure-E

STATEMENT OF PAST EXPERIENCE AND PERFORMANCE

We ..... (Name of firm) do hereby undertake that we have performed (Manpower)work as per details given below:-

Calendar yaer	**full address of purchaser with telephone**	Order No.& Date	Period of Completion of delivery		Certificate of Experience attached	Has the work catered satisfactory?
			from	to		
1	2	3	4	5	6	7

Note:-

1- It should be sumbmitted with technical Bid.

2- The relvant document is enclosed to verify the information and the document attached by me/us are correct and reliable to the best of my knowage and in case of docment and information found wroung our tender bid/contract shall be liable to be cancelled.

Date:-

Place:-

Signature of bidder with Seal
Name
Address

ADYAKSH, RAJKIYA MAHAVIDHYALYA VIKAS SAMITI
Government P. G. College, Baran

E-mail: principalgcbaran@gmail.com, principalgcbaran@yahoo.com
Phone No. 07453-230071,72

—: वित्तीय बिड (BOQ) प्रस्ताव:—

01. निविदा सन्दर्भः—निविदा सूचना संख्या— 01/2024—25
02. निविदा की विषय वस्तु— मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा।
03. निविदादाता का नाम—
04. निविदादाता का पता—.....

.....

.....

05.मानव संसाधन आपूर्ति हेतु हमारी निविदा दरें निम्न प्रकार हैं:—

S. No.	मानव संसाधन का प्रकार	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	EPF दर	ESI दर	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रू में
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4	अकुशल श्रम कुशल श्रम उच्चकुशल श्रम व्याख्याता	**6734** **7358** **8658** Rs. 250/- Per Period Max. Rs.25000/- Per Month	नियमानुसार	नियमानुसार	बोलीदाता अपनी दरें BOQ (वित्तीय बिड) में ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

नोट—(अ) निविदादाता द्वारा सेवा प्रदाय करने की एवज में लिये जाने वाले सेवा चार्ज की दरें सारणी मे कॉलम सं. 6 में प्रस्तुत करनी है जो कि **राशि रू प्रति कार्मिक** होगी। ऋणात्मक/शून्य/नगण्य सर्विस चार्ज वाली निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

दिनांक—

हस्ताक्षर निविदादाता